निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आषाढ़ 1946 (श0)

(सं0 पटना 635) पटना, वृहस्पतिवार, 18 जुलाई 2024

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

15 मार्च 2024

बिहार राज्य संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल परिषद् नियमावली, 2024

सं० 04/विविध–06–50/2021–285(4)स्वा०––राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 68 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली, बनाते हैं :–

1 संक्षिप्त नाम, विवरण और प्रारंभ :

(1) यह नियमावली बिहार राज्य संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल परिषद् नियमावली, 2024 कहलाएगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह नियमावली बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2 परिभाषाएँ :

इस नियमावली में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न होः

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021।

(ख) ''नियमावली'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल परिषद् नियमावली, 2024।

(ग) ''प्राधिकार'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल परिषद् का अध्यक्ष।

(घ) ''संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्था'' से अभिप्रेत है एक शैक्षणिक या शोध संस्था जो इस नियमावली के अधीन किसी भी संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति में डिप्लोमा या स्नातक, स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की डिग्री या कोई अन्य पोस्ट डिग्री प्रमाणन प्रदान करता है।

(ड.) ''संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल अर्हता'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन किसी संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्तिक द्वारा नियमित शिक्षण मोड (रीति) के माध्यम से धारित मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री या उसके बाद प्राप्त कोई अतिरिक्त मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या डिग्री।

(च) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है इस नियममावली की धारा 3 के खंड (क) के अधीन नियुक्त परिषद् का अध्यक्ष।

(छ) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है परिषद् का कोई सदस्य, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अंशकालिक सदस्य शामिल हैं।

(ज) ''संबद्ध स्वास्थ्य वृत्तिक'' के अन्तर्गत कोई सहयोगी, तकनीशियन या प्रौद्योगिकीविद् है जो बीमारी, रोग, चोट या हानि के निदान और उपचार में मदद करने और किसी स्वास्थ्य देखभाल उपचार और रेफरल योजना के कार्यान्वयन में मदद करने के लिए किसी तकनीकी और व्यावहारिक कार्य को करने हेतु प्रशिक्षित हो और जिसने इस अधिनियम के अधीन डिप्लोमा या डिग्री की अर्हता प्राप्त की हो जिसकी अवधि दो वर्ष से चार वर्ष तक दो हजार घंटे से कम न होगी और विनिर्दिष्ट सेमस्टरों में विभक्त होगी।

(झ) ''स्वायत्त बोर्ड'' से अभिप्रेत है इस नियमावली की धारा 10 की उप–धारा (1) के अधीन गठित स्वायत्त बोर्ड।

(ञ) ''स्वास्थ्य देखभाल वृत्तिक'' के अंतर्गत वैज्ञानिक, चिकित्सक या अन्य पेशेवर है जो अध्ययन, सलाह, शोध, पर्यवेक्षण करता है या निवारक, उपचारात्मक, पुनर्वास, चिकित्सकीय या स्वास्थ्य प्रचार सेवाएँ प्रदान करता है और जिसने इस अधिनियम के तहत डिग्री की कोई अर्हता प्राप्त की है जिसकी अवधि तीन वर्ष से छह वर्ष तक तीन हजार छह सौ घंटे से कम नहीं होगी और विनिर्दिष्ट सेमस्टरों में विभक्त होगी।

(ट) ''विहित'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनी नियमावली द्वारा विहित।

(ठ) ''मान्यता प्राप्त श्रेणियों'' से अभिप्रेत है अनुसूची में विनिर्दिष्ट संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्तिको की कोई श्रेणी।

(ड) ''विनियम'' से अभिप्रेत है बिहार संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल परिषद् द्वारा बनाए गए विनियम।

(ढ़) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है इस नियमावली से उपावद्ध अनुसूची।

(ण) ''परिषद्'' से अभिप्रेत है इस नियमावली की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित बिहार राज्य संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल परिषद्।

(त) ''आयोग'' से अभिप्रेत है राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 के अधीन गठित राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति आयोग।

(थ) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार।

(द) ''राज्य रजिस्टर'' से अभिप्रेत है इस नियमावली की धारा 13 के अधीन अनुरक्षित बिहार राज्य संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्तिको का रजिस्टर।

(ध) ''कार्य बदलना'' से अभिप्रत है ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा विनिर्दिष्ट कार्य बदले जाते हैं, जहाँ उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए दक्षतापूर्वक स्वास्थ्य कार्यबल की पहचान कर उन कार्यों में समुचित संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्तिक विशेषज्ञ होते हैं।

(न) ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) के अधीन परिभाषित कोई विश्वविद्यालय और इसके अन्तर्गत अधिनियम की धारा 3 के अधीन डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में घोषित कोई संस्था है।

3. बिहार राज्य संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल परिषद् का गठन और संरचना–

(i) हरेक राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक राज्य परिषद् गठित करेगी जो राज्य संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल परिषद् कहलाएगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी कर्तव्यों का निर्वहन करेगी जो इस नियमावली के अधीन निर्धारित किए जायें।

(ii) राज्य परिषद् उपर्युक्त नाम से एक निगमित निकाय होगी जिसे शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुहर होगा, जिसे चल और अचल दोनों संपत्ति को अर्जित करने, धारण करने तथा निपटान करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी तथा यह इसी नाम से वाद लाएगा या उसपर इसी नाम से वाद लाया जाएगा।

(iii) राज्य परिषद् में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे, यथा :

(क) विशिष्ट दक्षता, प्रामाणिक प्रशासनिक क्षमता और अखंडता वाला कोई व्यक्ति जो किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल विज्ञान की मान्यताप्राप्त श्रेणी की किसी वृत्ति में स्नातकोत्तर डिग्री रखता हो तथा जिसे संबद्ध और स्वास्थ्य देखाभाल विज्ञान के किसी क्षेत्र में कम से कम पच्चीस वर्षों का अनुभव हो जिसमें से कम से कम दस वर्ष वह राज्य सरकार द्वारा नामित संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति के क्षेत्र में अग्रणी रहा हो–अध्यक्ष

(ख) राज्य सरकार के चिकित्सा या स्वास्थ्य विज्ञान का प्रतिनिधित्व करनेवाला एक निदेशक या अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक–पदेन सदस्य

(ग) राज्य सरकार के किसी चिकित्सा महाविद्यालय से डीन (संकायाध्यक्ष) या विभागध्यक्ष से अन्यून पंक्ति के दो व्यक्ति–पदेन सदस्य

(घ) इस नियमावली की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन राज्य परिषद् द्वारा गठित स्वायत्त बोर्ड का अध्यक्ष–पदेन सदस्य

(ड.) राज्य सरकार द्वारा नामित दो व्यक्ति जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान्यताप्राप्त श्रेणियों में से हरेक का प्रतिनिधित्व करता हो और जो ऐसी अर्हताएँ तथा अनुभव रखता हो जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जायें–सदस्य

(च) राज्य सरकार द्वारा नामित दो व्यक्ति जो किसी मान्यताप्राप्त श्रेणियों से संसक्त शिक्षा या सेवाओं में लगे पुण्यार्थ संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता हो तथा ऐसी अर्हताएँ तथा अनुभव रखता हो जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जायें–सदस्य

4. सदस्य की सेवा के निबंधन एवं शर्तें –

(1) परिषद् का अध्यक्ष तथा उपधारा (3) के खंड (ड.) और (च) के अधीन नामित सदस्य पदग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पद धारण करेगा और अधिकतम दो वर्ष बाद पुनर्नामांकन के लिए पात्र होगा।

(2) धारा 3 की उपधारा (iii) के खंड (ड.) और (च) के अधीन परिषद् के लिए नामित सदस्य ऐसी यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्ते प्राप्त करेंगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जायें।

5. सदस्य का त्यागपत्र और उसे हटाया जाना –

(1) धारा 4 की उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी परिषद् का अध्यक्ष तथा धारा 3 की उपधारा (iii) के खंड (ड.) और (च) के अधीन नामित सदस्य।

(i) राज्य सरकार को कम से कम तीन महीने की लिखित में नोटिस देकर अपने पद को छोड़ सकेगा, या

(ii) अपने पद से हटाया जा सकेगा यदि वह–

(क) न्यायनिर्णीत दिवालिया किया गया हो; या

(ख) किसी अपराध में सिद्धदोष किया गया हो, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्गस्त हो; या

(ग) सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो चुका हो; या

(घ) ऐसी वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया हो जिससे सदस्य के रूप में उसके कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो; या

(ड.) अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया हो जो पद पर उसके बने रहने में लोक हित में प्रतिकूल प्रतीत हो।

(2) उपधारा (i) के खंड (घ) या खंड (ड.) के अधीन किसी सदस्य को उसके पद से हटाया नहीं जाएगा जब तक कि उसे इस विषय पर सुने जाने का समुचित अवसर दे नहीं दिया जाय।

6. सदस्यता की समाप्ति और सदस्य की आकस्मिक रिक्ति को भरना–

(1) धारा 3 की उपधारा (iii) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन कोई सदस्य सेवा, जिसके आधार पर वह परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, की समाप्ति पर परिषद् का सदस्य नहीं रहेगा।

(2) धारा 3 की उपधारा (iii) के अधीन परिषद् में किसी आकस्मिक रिक्ति के कारण नियुक्त अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, जिस सदस्य के स्थान पर नियुक्त किया गया है उसकी बची हुई अवधि के लिए पद धारण करेगा।

7. बिहार राज्य संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल परिषद् की बैठकें :–

(1) परिषद् की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी और इसकी बैठकों (ऐसी बैठकों की गणपूर्ति सहित) में कार्य करने से संबंधित ऐसी प्रक्रिया नियमावली का पालन इस प्रकार किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय।

(2) यदि किसी कारण से परिषद् का अध्यक्ष परिषद् की बैठक में भाग लेने में असमर्थ होता है तो बैठक में उपस्थित सदस्यों में से चुना गया कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) परिषद की किसी बैठक के समक्ष आनेवाले सभी प्रश्न उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किए जायेंगे और मतों की समानता की दशा में परिषद् के अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में परिषद् की अध्यक्षता करनेवाले सदस्य को दूसरा या निर्णायक मत होगा।

8. रिक्तियाँ आदि के कारण बिहार राज्य संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल परिषद् की कार्यवाहियों का अविधिमान्य नहीं होना –

(1) परिषद् का कोई अधिनियम या कार्यवाही केवल इन कारणों से अविधिमान्य नहीं होगा –

(क) किसी रिक्ति या परिषद् के गठन में किसी प्रकार की त्रुटि या

(ख) परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य करनेवाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि;

(ग) मामले के गुणागुण पर प्रभाव डाले बिना परिषद् की प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता।

9. बिहार राज्य संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल परिषद् के पदाधिकारी और अन्य कर्मचारी –

(1) ऐसे नियम जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाए जायें, के अध्यधीन परिषद् एक सचिव और ऐसे अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन में यह आवश्यक समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त परिषद के सचिव, अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी को देय वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जायें।

10. स्वायत्त बोर्ड का गठन और कृत्य।–

(1) परिषद अधिसूचना द्वारा संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्तिकों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित स्वायत्त बोर्ड गठित करेगी, यथा–

(क) स्नातक संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा बोर्ड,

(ख) स्नातकोत्तर संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा बोर्ड,

(ग) संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति निर्धारण और रेटिंग बोर्ड, तथा

(घ) संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति आचार तथा रजिस्ट्रीकरण बोर्ड

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित स्वायत्त बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा हरेक मान्यताप्राप्त श्रेणी से सदस्यों की इतनी संख्या होगी जो विनियम द्वारा विनिर्दिष्ट किए जायें और इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

(3) स्नातक संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा बोर्ड तथा स्नातकोत्तर संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा बोर्ड स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर और अति विशिष्ट स्तर पर संबंद्ध और स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा के मानकों का निर्धारण करेगा, गतिशील पाठ्यक्रम सामग्री के आधार पर क्षमता विकसित करेगा, मानदंडों के विरूद्ध संस्थागत मानकों, दोषपूर्ण विकास की समीक्षा करेगा, मान्यताप्राप्त अर्हता वाले पाठ्यक्रम को अनुमोदित करेगा तथा ऐसे अन्य कार्य करेगा जो स्नातक शिक्षा तथा स्नातकोत्तर शिक्षा परिषद् द्वारा सौंपे जायें।

(4) संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति निर्धारण और रेटिंग बोर्ड संस्थाओं के निरीक्षण, नये संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं की स्थापना के लिए अनुदान अनुमति तथा सीट क्षमता, निर्धारकों को सूचीबद्ध करने, चेतावनी या जुर्माना अधिरोपित करने, संस्थाओं की मान्यता को वापस लेने तथा ऐसे कार्य जो न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए परिषद् द्वारा सौंपे जायें का उपबंध कर संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं के निर्धारण और रेटिंग के लिए प्रक्रिया का अवधारण करेगा।

(5) संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति आचार और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड राज्य में सभी अनुज्ञप्त संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायियों का ऑनलाइन तथा अद्यतन राज्य रजिस्टर संधारित करेगा, वृत्तिक आचरण तथा आचार के उन्नयन को विनियमित करेगा तथा ऐसे अन्य कार्य करेगा जो परिषद् द्वारा सौंपे जायें।

(6) स्नातक संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा या स्नातकोत्तर संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा या संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्तिक निर्धारण तथा रेटिंग या संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति आचार और रजिस्ट्रीकरण ऐसे अन्य कार्य करेंगे जो विनियमों द्वारा विनियमित किए जायें।

11. बिहार राज्य संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल परिषद् के कृत्य–

(1) परिषद् का यह कर्त्तव्य होगा कि इस अधिनियम के अधीन शिक्षा का समन्वित एवं समेकित विकास तथा सेवाओं को प्रदान करने के मानकों के अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए ऐस सभी कदम उठाए जो वह उचित समझे, अपने कार्यों को करने के प्रयोजनार्थ परिषद्–

(क) मान्यताप्राप्त श्रेणियों का नाम दर्ज करेगी, वृत्तिक आचरण, राज्य में संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्तिकों द्वारा पालन की जानेवाली आचार संहिता तथा शिष्टाचार को लागू करेगी तथा अनुशासनिक कार्रवाई करेगी जिसमें राज्य रजिस्टर से वृत्तिकों का नाम हटाना शामिल है;

(ख) शिक्षा के न्यूनतम स्तर, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्चा, शारीरिक और अनुदेशात्मक सुविधाओं, स्टाफ पैटर्न, स्टाफ अर्हता, गुणवत्तापूर्ण अनुदेश, मूल्यांकन, परीक्षा, प्रशिक्षण, शोध, अनवरत वृत्तिक शिक्षा को सुनिश्चित करेगी;

(ग) इस अधिनियम के अधीन डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट स्तर पर संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्थओं में प्रवेश के लिए सामान्य परामर्श के साथ एक समान प्रवेश परीक्षा सुनिश्चित करेगी;

(घ) इस अधिनियम के अधीन संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्तिकों के लिए एकसमान निकास या लाइसेंस देनेवाली परीक्षा सुनिश्चित करेगी;

(ड.) संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं का निरीक्षण करेगी और राज्य में संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्तिकों को (रजिस्टर) में दर्ज करेगी;

(च) आयोग द्वारा निर्गत सभी निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी;

(छ) मशीनरी, सामग्री और सेवाओं के लिए न्यूनतम मानक ढाँचा का प्रबंध करेगी;

(ज) पाठ्यक्रमों को अनुमोदित करेगी और पहचान देगी तथा पाठ्यक्रमों को लिए क्षमता ग्रहण करेगी;

(झ) मानकों को बनाए रखने के लिए संस्थाओं पर जुर्माना लगाएगी;

(ञ) ऐसे अन्य कार्य करेगी जो इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा सौंपे जायें।

12. सलाहकार बोर्ड का गठन–

(1) परिषद इतनी संख्या में पेशेवर सलाहकार बोर्ड का गठन कर सकेगी जो एक या एक से अधिक मान्यता प्राप्त श्रेणियों से संबंधित मुद्दों की जाँच करने एवं परिषद् को अनुशंसा करने तथा परिषद् द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य कार्य करने के लिए भी आवश्यक हो।

13. राज्य संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्तिकों का रजिस्टर –

(1) परिषद हरेक मान्यता प्राप्त श्रेणियों के लिए अलग–अलग हिस्सों में व्यक्तियों का ऑनलाइन और अद्यतन राज्य रजिस्टर संधारित करेगी जो राज्य संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्तिकों के रूप में ज्ञात होगा जिसमें व्यक्ति के नाम तथा मान्यता प्राप्त श्रेणियों में से किसी श्रेणी से संबंधित उनकी अर्हताएँ की सूचना ऐसी रीति से दी जाएगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

(2) राज्य रजिस्टर में संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्तिकों की शैक्षणिक योग्यता, संस्था, प्रशिक्षण, कौशल तथा क्षमता जो उनकी वृत्ति से संबंधित है, का विवरण इस रीति से होगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जायें।

(3) राज्य रजिस्टर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अर्थान्तर्गत एक लोक दस्तावेज समझा जाएगा और परिषद् द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रमाणित प्रति से प्रमाणित किया जायेगा।

14. राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण–

(1) कोई व्यक्ति आवेदन पर तथा ऐसे फीस का भुगतान कर जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय, अपना नाम राज्य रजिस्टर में दर्ज कराने का हकदार होगा यदि वह राज्य में रहता है तथा मान्यता प्राप्त संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल अर्हता रखता है।

(2) परिषद में आवेदन देने पर यदि परिषद् की यह राय होती है कि आवेदक राज्य रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने का हकदार है जो राज्य परिषद् उसमें आवेदक का नाम दर्ज करेगी।

(3) इस धारा के अधीन राज्य रजिस्टर में नाम दर्ज होने पर परिषद् का सचिव उस प्रपत्र में आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निर्गत करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय।

(4) संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र पाँच वर्षों के लिए विधिमान्य होगा और ऐसे रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण ऐसे प्रपत्र और ऐसी रीति से किया जाएगा जो संबंधित वृत्ति के लिए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

(5) कोई भी व्यक्ति जिसका आवेदन रजिस्ट्रीकरण के लिए अस्वीकृत कर दिया जाता है, ऐसी अस्वीकृति की तिथि से एक महीने के अंदर आयोग (राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति आयोग) को अपील कर सकेगा।

15. प्रमाण पत्रों की दूसरी प्रति निर्गत करना–

(1) जहाँ परिषद् के सचिव को समाधान पूर्वक बताया जाता है कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या नवीकरण प्रमाण पत्र खो गया है या नष्ट हो गया है तो परिषद् ऐसी फीस के भुगतान पर तथा ऐसे प्रपत्र में प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति निर्गत कर सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय।

16. राज्य रजिस्टर में संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्तिकों के नाम का नवीकरण–

(1) राज्य रजिस्टर में संबद्ध और स्वास्थ्य देखाभाल वृत्तिकों के नाम के नवीकरण के लिए परिषद् को हरेक पाँच वर्ष में ऐसी फीस ऐसी रीति से संदत्त की जायेगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर फीस संदत्त नहीं की जाती है तो परिषद् का सचिव राज्य रजिस्टर से व्यतिक्रमी का नाम हटा देगाः

परन्तु इस प्रकार हटाया गया नाम ऐसी फीस के भुगतान पर उक्त रजिस्टर में प्रत्यावर्तित कर दिया जा सकेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय।

(3) उपधारा (1) के अधीन फीस के भुगतान पर परिषद् का सचिव नवीकरण का प्रमाण पत्र निर्गत करेगा और ऐसा प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का प्रमाण होगा।

17. राज्य रजिस्टर से व्यक्ति के नाम हटाना–

(1) परिषद् उस व्यक्ति को सुने जाने का उचित अवसर देने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जाँच जो यह उचित समझे के पश्चात् आदेश दे सकेगी

(क) कि राज्य रजिस्टर में उसका नाम गलती या दुर्व्यपदेशन या तात्विक तथ्य को छिपाने के कारण दर्ज हुआ है; या

(ख) कि वह नैतिक अधमता से आच्छादित किसी अपराध में सिद्धदोष हुआ है जो कारावास से दंडनीय है या किसी पेशेवर कार्य में किसी दुराचार में दोषी हुआ है या वृत्तिक आचार तथा शिष्टाचार या आचार संहिता का उल्लंघन किया है जो परिषद् की राय में उक्त रजिस्टर में उसका नाम रखने से उसे अयोग्य बनाता है।

(2) कोई व्यक्ति जिसका नाम उपधारा (1) के अधीन राज्य रजिस्टर से हटाया गया है इस नियम के तहत रजिस्ट्रीकरण के लिए या तो स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिए जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, अयोग्य होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन आदेश तबतक प्रभावी नहीं होगा जबतक कि उस पर की गयी अपील, यदि कोई हो, की तिथि से तीन महीना बीत न जाय या ऐसी अपील अंतिम रूप से निष्पादित न हो जाय, जो भी तिथि बादवाली हो।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की संसूचना से 30 दिनों के अंदर आयोग को अपील करेगा तथा सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् आयोग ऐसी अपील करने की तिथि से 90 दिनों के अंदर ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे,

(5) कोई व्यक्ति जिसका नाम इस धारा या धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन राज्य रजिस्टर से हटा दिया गया है वह तुरंत अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या नवीकरण प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, परिषद् को अभ्यर्पित कर देगा और इस प्रकार हटाया गया नाम परिषद् के वेबसाइट पर तथा जनभाषा वाले एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(6) कोई व्यक्ति जिसका नाम इस धारा के अधीन राज्य रजिस्टर से हटा दिया गया है वह राज्य रजिस्टर में या किसी अन्य राज्य रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने का हकदार नहीं होगा सिवाय परिषद्, जहाँ के रजिस्टर से उसका नाम हटाया गया है, के अनुमोदन के।

18. राज्य रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम की पुनःस्थापन–

(1) परिषद् किसी समय पर्याप्त प्रतीत होने वाले कारणों से और राज्य सरकार द्वारा विहित शुल्क के भुगतान पर हटाए गए व्यक्ति के नाम को राज्य रजिस्टर में पुनःस्थापित करने का आदेश दे सकेगी और नाम परिषद् के वेबसाइट पर डाला जाएगा तथा जनभाषा वाले एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

19. **नियमावली के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा देनेवाले व्यक्तियों की पहचान–**

कोई व्यक्ति जो इस नियमावली के प्रारंभ होने पर या उससे पूर्व किसी मान्यता प्राप्त श्रेणियों में अपनी सेवा देता है, उसे इस नियमावली के उपबंधों के अधीन अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकरण करने की अनुमति ऐसे प्रारंभ होने की तिथि से ऐसी अवधि के अंदर ऐसी रीति से दी जायेगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें।

20. नयी संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं, नये पाठ्यक्रमों आदि की स्थापना के लिए अनुमति–

(1) इस नियमावली के प्रारंभ होने की तिथि से इस नियमावली में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी–

(क) कोई व्यक्ति कोई संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्था स्थापित नहीं करेगा; या

(ख) कोई संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्था–

(i) अध्ययन या प्रशिक्षण का नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) नहीं चलाएगा जो किसी मान्यता प्राप्त संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल अर्हता प्रदान करने हेतु अपने को अर्हित करने के लिए अध्ययन या प्रशिक्षण के हरेक पाठ्यक्रम में छात्रों को समर्थ बनाए; या

(ii) अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि नहीं करेगा; या

(iii) इस नियमावली के उपबंधों के अनुसार परिषद् से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के सिवाय किसी गैर मान्यता प्राप्त अध्ययन या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में छात्रों के नये बैच को प्रवेश नहीं देगा :

परन्तु नये या उच्चतर पाठ्यक्रम या परिषद् की पूर्व अनुमति के बिना नये बैच की बाबत किसी व्यक्ति को स्वीकृत संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल अर्हता इस नियमावली के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल अर्हता नहीं होगी।

(2) (क) उपधारा (1) के अधीन अनुमति प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ हरेक व्यक्ति या संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्था खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार परिषद् को एक स्कीम प्रस्तुत करेगा।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट स्कीम ऐसे प्रपत्र में होगी और उसमें ऐसे विवरण होंगे और ऐसी रीति से दी जाएगी और इसके साथ ऐसी फीस संलग्न होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जायें।

(3) उपधारा (2) के अधीन स्कीम की प्राप्ति पर परिषद् संबंधित व्यक्ति या संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्था से ऐसा अन्य विवरण प्राप्त कर सकेगी जो आवश्यक समझा जाय, तत्पश्चात् परिषद्–

(क) यदि स्कीम त्रुटिपूर्ण है और इसमें कोई आवश्यक विवरण नहीं रहता है तो संबंधित व्यक्ति या संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्था को लिखित अभ्यावेदन देने के लिए उचित अवसर दे सकेगी और यह ऐसे व्यक्ति या संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्था के लिए खुला होगा कि वह परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट त्रुटियाँ, यदि कोई हो, में सुधार कर ले;

(ख) उपधारा (5) में निर्दिष्ट कारको के मद्देनजर स्कीम पर विचार कर सकेगी।

(4) परिषद् स्कीम पर विचार करने के पश्चात् और जहाँ आवश्यक हो संबंधित व्यक्ति या संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्था से उपधारा (2) के अधीन ऐसे अन्य विवरण जो आवश्यक समझे जायें, प्राप्त कर और उपधारा (5) में निर्दिष्ट कारकों को ध्यान में रखकर या तो उन शर्तों पर जो आवश्यक समझे जायें, स्कीम मंजूर कर सकेगी या नामंजूर कर सकेगी तथा कोई ऐसी मंजूरी उपधारा (1) के अधीन अनुमति के रूप में होगी।

परन्तु ऐसी कोई स्कीम परिषद् द्वारा नामंजूर नहीं की जाएगी सिवाय संबंधित व्यक्ति या संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्था को सुने जाने का उचित अवसर देने के पश्चात् :

परन्तु यह और कि इस उपधारा की कोई बात किसी व्यक्ति या संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्था जिसकी स्कीम परिषद् द्वारा मंजूर नहीं की गयी है को नयी स्कीम प्रस्तुत करने से नहीं रोकेगा और इस धारा के उपबंध ऐसी स्कीम पर लागू होंगे मानो कि ऐसी स्कीम उपधारा (2) के अधीन पहली बार प्रस्तुत की गयी थी।

(5) उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश पारित करते समय परिषद् निम्नलिखित कारकों पर ध्यान देगी, अर्थात्–

(क) क्या प्रस्तावित संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्था या विद्यमान संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्था जो अध्ययन या प्रशिक्षण का नया या उच्चतर पाठ्यक्रम खोलना चाहती है, विनियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शिक्षा का बुनियादी मानक देने की स्थिति में होगी;

(ख) क्या कोई व्यक्ति जो संबद्ध ओर स्वास्थ्य देखभाल संस्था या विद्यमान संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्था स्थापित करना चाहता है या अध्ययन या प्रशिक्षण का नया या उच्चतर पाठ्यक्रम खोलना चाहता है या प्रवेश क्षमता बढ़ाना चाहता है, के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन है।

(ग) क्या संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्था के उचित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए या अध्ययन या प्रशिक्षण का नया पाठयक्रम संचालित करने के लिए या बढ़ी हुई प्रवेश क्षमता से सामंजस्य बैठाने के लिए स्टॉल, उपकरण, आवासन, प्रशिक्षण, अस्पताल तथा अन्य सुविधाओं की बाबत स्कीम में यथा विनिर्दिष्ट आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करायी गयी हैं या उपलब्ध करायी जायेंगी।

(घ) क्या ऐसे संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्था या अध्ययन या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में या बढ़ी हुई प्रवेश क्षमता के परिणामस्वरूप उपस्थित होनेवाले संभावित छात्रों की संख्या के मद्देनजर स्कीम में यथाविनिर्दिष्ट सुविधाएँ उपलब्ध करायी गयी हैं या उपलब्ध करायी जायेंगी;

(ड.) क्या ऐसे संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्था या अध्ययन या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले संभावित छात्रों को मान्यता प्राप्त संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल अर्हता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा समुचित प्रशिक्षण देने के लिए कोई व्यवस्था की गयी है या कोई कार्यक्रम बनाया गया है।

(च) संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्था में जनशक्ति की आवश्यकता; और

(छ) कोई अन्य कारक जो विनियम द्वारा विनिर्दिष्ट किए जायें।

(6) जहाँ परिषद् उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित करती है, आदेश की एक प्रति यथास्थिति व्यक्ति या संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्था को संसूचित की जायेगी।

(क) ''व्यक्ति'' के अन्तर्गत कोई विश्वविद्यालय, संस्था या न्यास (ट्रस्ट) है किन्तु इसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार या राज्य सरकार नहीं है।

(ख) किसी संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्था में अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) से संबंधित ''प्रवेश क्षमता'' से अभिप्रेत है छात्रों की अधिकतम संख्या जो परिषद् द्वारा समय–समय पर अध्ययन या प्रशिक्षण के ऐसे पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विनिश्चित की जाय।

21. संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं से सूचना की अपेक्षा करने की शक्ति।–

(1) किसी मान्यता प्राप्त श्रेणी में शिक्षा देने वाला कोई विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्था पाठ्यक्रम की अवधि, स्कीम के निर्धारण और परीक्षा तथा इस अधिनियम के अधीन सम्बद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्था के रूप में अपेक्षित अर्हता जो परिषद् समय–समय पर अपेक्षा करे, को प्राप्त करने के लिए अन्य पात्रता शर्तों की सूचना परिषद् को देगा।

(2) इस नियमावली के प्रारंभ होने की तिथि से किसी मान्यता प्राप्त कोटि में शिक्षा देने वाला कोई विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्था परिषद् को ऐसे सूचना ऐसी रीति से देगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

22. **बिहार राज्य संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल परिषद् द्वारा संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल अर्हताओं की मान्यता–**

(1) परिषद् किसी संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्था जहाँ मान्यता प्राप्त श्रेणी में शिक्षा दी जाती है के मानकों को सत्यापित करवाएगी या उस संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्था द्वारा संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल अर्हता को मान्यता देने के प्रयोजनार्थ किसी शैक्षणिक या शोध संस्था द्वारा किसी आयोजित परीक्षा की देखभाल करवाएगी तथा यह ऐसी रीति से होगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया सत्यापन किसी प्रशिक्षण या परीक्षा के आयोजन में हस्तक्षेप नहीं करेगा किन्तु यह शिक्षा के मानकों की पर्याप्तता पर परिषद् को रिपोर्ट करने के प्रयोजनार्थ होगा और इसमें मान्यता प्राप्त श्रेणियों में शिक्षा देने के लिए यथास्थिति स्टाफ, उपकरण, आवासन, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएँ या प्रत्येक परीक्षा जिसमें वे उपस्थित होते हैं की पर्याप्तता शामिल हैं।

(3) परिषद् संबंधित संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्था को मानकों के सत्यापन रिपार्ट की प्रति यथा उसपर संस्था की अभ्युक्ति की प्रति आयोग को अग्रसारित करेगी।

23. मान्यता को वापस लेना–

(1) राज्य परिषद् से रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि आयोग की यह राय होती है कि–

(क) पाठ्यक्रम और होने वाली परीक्षा या विश्वविद्यालय या किसी संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्था द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए अपेक्षित प्रवीणता यथास्थिति अपने–अपने पाठ्यक्रम हेतु आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं है; या

(ख) यथास्थिति अपने–अपने पाठ्यक्रम के लिए आयोग द्वारा यथा अवधारित संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्था में आधारभूत संरचना, संकाय तथा गुणवत शिक्षा के लिए मानकों का पालन किसी विश्वविद्यालय या संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्था द्वारा नहीं हुआ है और ऐसा विश्वविद्यालय या संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्था विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों को अनुरक्षित करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने में विफल रहा है, तो यह उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगा।

(2) ऐसे अभ्यावेदन पर विचार करने तथा ऐसी जाँच जो वह उचित समझे के पश्चात् आयोग उपधारा (1) के अधीन राज्य परिषद् से प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के अंदर आदेश द्वारा संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्था को स्वीकृत मान्यता को वापस लेगा :

परन्तु आदेश पारित करने पूर्व आयोग संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्था तथा राज्य सरकार जिसकी अधिकारिता में संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल अवस्थित है को सुने जाने का अवसर देगा :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय या संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल द्वारा दी गयी संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्तिक अर्हता के लिए स्वीकृत मान्यता को वापस लेने के पूर्व संबद्ध राज्य परिषद् के परामर्श से जुर्माना अधिरोपित करेगा।

(3) आयोग आगे की ऐसी जाँच, यदि कोई हो, जो वह उचित समझे, करने के पश्चात् निदेश दे सकेगा कि–

(क) कोई संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल अर्हता इस नियमावली के अधीन मान्यता प्राप्त अर्हता होगी केवल जब यह विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्व स्वीकृत की जाती है; या

(ख) यदि कोई संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल अर्हता विनिर्दिष्ट संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्था के छात्रों को स्वीकृत की जाती है तो यह मान्यता प्रापत अर्हता होगी केवल जब विनिर्दिष्ट तिथि के पूर्व स्वीकृत की जाती है; या

(ग) कोई अर्हता केवल विनिर्दिष्ट संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्था के संबंध में मान्यता प्राप्त अर्हता होगी केवल जब विनिर्दिष्ट तिथि के पश्चात् स्वीकृत की जाय।

24. संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं द्वारा न्यूनतम अनिवार्य मानकों के अनुरक्षण में विफल होना–

परिषद् चेतावनी देने, जुर्माना लगाने, प्रवेश को कम करने या प्रवेश को रोकने सहित ऐसे कदम उठा सकेगी तथा राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति आयोग अधिनियम 2021 के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम अनिवार्य मानकों के अनुरक्षण में विफल रहने के लिए संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्था के विरूद्ध मान्यता को वापस लेने के लिए आयोग को अनुशंसा कर सकेगी।

25. राज्य सरकार द्वारा अनुदान–

राज्य सरकार राज्य विधानमंडल द्वारा किए गए सम्यक् विनियोजन के पश्चात् इस निमित्त विधि द्वारा राज्य परिषद् को ऐसी धनराशि स्वीकृत करेगी जो इस नियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने हेतु उचित समझे।

26. राज्य संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल परिषद् निधि–

(1) राज्य संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल परिषद् निधि के नाम से एक निधि गठित की जाएगी और इसमें जमा की जाएगी–

(क) राज्य सरकार से प्राप्त सभी धनराशि;

(ख) अनुदान, फीस, दान, वसीयत और अंतरण द्वारा परिषद् को प्राप्त सभी धनराशि; और

(ग) परिषद् द्वारा किसी अन्य रीति से या किसी अन्य श्रोत से, जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाय, प्राप्त सभी धनराशि।

(2) आयोग तथा परिषद् की सभी प्राप्तियाँ आयोग के ऑनलाइन भुगतान पोर्टल के द्वारा होगी और सभी प्राप्तियों का एक–चौथाई राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल निधि को अंतरित की जायेगी तथा सभी प्राप्तियों का तीन–चौथाई उस पोर्टल के माध्यम से सुसंगत राज्य संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल परिषद् निधि को अंतरित की जायेगी।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि का उपयोग इस नियमावली के प्रयोजनार्थ परिषद् के कृत्यों के निर्वहन में उपगत व्यय पर इस रीति से किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय।

27. बिहार राज्य संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल परिषद् के लेखे और लेखापरीक्षा–

(1) परिषद् समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख संधारित करेगी तथा ऐसे सामान्य निदेशों के अनुसार तुलनपत्र सहित लेखों का वार्षिक विवरण तैयार करेगी और ऐसे प्रपत्र में निर्गत करेगी जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

(2) परिषद् के लेखे की वार्षिक लेखापरीक्षा नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा की जायेगी और ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा या इस प्रकार नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा कोई उपगत व्यय परिषद् द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक को देय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और परिषद् के लेखे की लेखापरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार और प्राधिकार होगा जो सरकारी लेखे की लेखापरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को है और विशिष्टतया लेखा बही, संबंधित वाउचर और अन्य दस्तावेज तथा कागजात प्रस्तुत करने की माँग करने तथा परिषद् के कार्यालय क निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक या इस निमित इसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा सत्यापित परिषद् के लेखे साथ ही इस पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रतिवर्ष राज्य सरकार को अग्रसारित की जाएगी और सरकार इसे राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन में जहाँ यह दो सदनों से मिलकर बनता है रखवाएगी या जहाँ विधानमंडल में केवल एक ही सदन हो तो उसी के समक्ष रखवाएगी।

28. बिहार राज्य संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट–

परिषद् प्रति वर्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय के अंदर जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय पूर्व वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का सही और पूर्व विवरण देकर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और इसकी प्रति राज्य सरकार को अग्रसारित की जाएगी तथा सरकार इसे राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन में जहाँ यह दो सदनों से मिलकर बनता है रखवाएगी या जहाँ विधान मंडल में केवल एक ही सदन हो तो उसी के समक्ष रखवाएगी।

29. आदेशों का अधिप्रमाणन, आदि–

परिषद् के सभी आदेश और निर्णय, जैसी भी स्थिति हो, तथा इसके द्वारा निर्गत लिखत, सचिव द्वारा या इस निमित अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जायेंगे।

30. संबद्ध और स्वास्थ्य देखाभाल वृत्तिकों द्वारा व्यवसाय–

कोई संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्तिक इस नियम द्वारा अप्राधिकृत किसी कर्त्तव्य का निर्वहन या किसी कृत्य का पालन नहीं करेगा या वृत्ति के व्यवसाय के दायरे के तहत अप्राधिकृत चिकित्सा नहीं करेगा।

31. राज्य रजिस्टर में दर्ज होने का मिथ्या दावा करने के लिए शास्ति–

यदि किसी व्यक्ति जिसका नाम तत्समय राज्य रजिस्टर में दर्ज नहीं है, मिथ्या जाहिर करता है कि यह इस प्रकार दर्ज है या अपने नाम या उपाधि के संबंध में किसी शब्दों या अक्षरों का उपयोग यह बताने के लिए करता है कि उसका नाम इस प्रकार दर्ज है तो पहले सिद्धदोष पर वह जुर्माने से जिसे पचास हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा तथा किसी उत्तरवर्ती सिद्धदोष पर कारावास से जिसे छह माह तक बढ़ाया जा सकेगा या एक लाख रूपये से अनधिक जुर्माने से या दोनों दंडनीय होगा।

32. उपाधियों का दुरूपयोग–

यदि कोई व्यक्ति;

(क) राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नहीं होने पर किसी संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्तिक का विवरण लेता है या उपयोग करता है, या

(ख) इस नियमावली के अधीन किसी संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल अर्हता को नहीं रखने पर ऐसी अर्हता को दर्शानेवाला या विवक्षित किसी डिग्री या डिप्लोमा या लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) या संक्षिप्त नाम का उपयोग करता है तो वह पहले सिद्धदोष पर जुर्माने से जिसे बढ़ाकर एक लाख रूपये तक किया जा सकेगा तथा किसी उत्तरवर्ती सिद्धदोष पर कारावास से जिसे बढ़ाकर एक वर्ष तक किया जा सकेगा या दो लाख रूपये से अनधिक जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

33. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभ्यर्पित करने में विफल होना–

यदि कोई व्यक्ति जिसका नाम राज्य रजिस्टर से हटा दिया गया है तो वह तुरंत यथास्थिति रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या नवीकरण प्रमाण पत्र या दोनों अभ्यर्पित कर देगा, इसमें विफल होने पर वह जुर्माने से जिसे बढ़ाकर पचास हजार रूपये तक किया जा सकेगा तथा पहले दिन के पश्चात् अपराध जारी रहने पर लगातार अपराध करने की स्थिति में अतिरिक्त जुर्माने जिसे बढ़कर पाँच हजार रूपये प्रति दिन किया जा सकेगा से दंडनीय होगा।

34. नियमावली के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति–

जो कोई इस नियमावली या इसके अधीन बने किसी नियमों या विनियमों के किसी उपबंधों का उल्लंघन करता है, कारावास से जो कम से कम एक वर्ष का होगा किन्तु जिसे बढ़ाकर तीन वर्ष तक किया जा सकेगा या जुर्माने से जो एक लाख रूपये से कम नहीं होगा किन्तु जिसे बढ़ाकर पाँच लाख रूपये तक किया जा सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

35. अपराधों का संज्ञान–

(1) इस नियमावली के अधीन किसी दंडनीय अपराध का संज्ञान कोई न्यायालय नहीं लेगा सिवाय केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, परिषद् द्वारा की गयी शिकायत के।

(2) इस नियमावली के अधीन प्रथम श्रेणी के मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट से न्यून कोई न्यायालय किसी अपराध पर विचारण नहीं करेगा जो इस नियमावली के अधीन दंडनीय है।

36. अधिकारिता का वर्जन–

किसी सिविल न्यायालय की इस नियमावली के अधीन राज्य रजिस्टर में से यथास्थिति नाम हटान या नाम दर्ज करने से इंकार करने से संबंधित परिषद् के किसी आदेश की बाबत कोई वाद चलाने या कार्यवाही करने की कोई अधिकारिता नहीं होगी।

37. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण–

राज्य सरकार या परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या स्वायत्त बोर्ड के सदस्य जैसी भी स्थिति हो, के विरूद्ध इस नियमावली या अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में बने किसी नियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किए गए किसी कार्य या किए जाने को आशयित किसी कार्य के लिए कोई वाद, अभियोजन या कोई विधि कार्यवाही नहीं चलायी जायेगी।

38. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति–

(1) इस नियमावली के उपबंधों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई आती है तो बिहार सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसा उपबंध बना सकेगी जो इस नियमावली के उपबंधों के असंगत न हो और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

39. नियमावली में संशोधन करने की शक्ति–

(1) बिहार सरकार (स्वास्थ्य विभाग) विधि विभाग के परामर्श से अधिसूचना द्वारा इस नियमावली के प्रयोजनार्थ अनुसूची में परिवर्धन या अन्यथा संशोधन कर सकेगी और तत्पश्चात् उक्त अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जायेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के अपर सचिव।

अनुसूची
[देखें धारा 2 (ढ)]

क्र0सं0	मान्यता प्राप्त श्रेणी	संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल वृति	आईएससीओ कोड
1	2	3	4
1	**चिकित्सा प्रयोगशाला और जीवन विज्ञान जीवन विज्ञान वृत्तिक** **नोट**– जीवन विज्ञान वृत्तिक वह व्यक्ति है जो मानव और अन्य जीवन रूपों पर शोध का प्रयोग, एक दूसरे के साथ उनकी पारस्परिक क्रिया और वातारण पर शोध के प्रयोग की जानकारी रखता है ताकि नई जानकारी को विकसित किया जा सके, और पर्यावरण संबंधी एवं मानव स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान किया जा सके तथा जो विविध क्षेत्रों में कार्य करता हैं, जैसे जीवाणु विज्ञान, जीव रसायन विज्ञान, आनुवंशिकी, प्रतिरक्षा विज्ञान, औषध विज्ञान, विष विज्ञान और विषाणु विज्ञान जो अन्य में से नयी प्रक्रियाओं और तकनीकों की पहचान करने और विकसित करने के लिए प्रयोगिक तथा फिल्ड डाटा का संग्रह, विश्लेषण तथा मूल्यांकन करता है। चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान वृत्तिक नोट– चिकित्सा एवं रोग विज्ञान प्रयोगशाला वृत्तिक वह व्यक्ति है जो रोगी के स्वास्थ्य या मृत्यु के कारण बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए शारीरिक द्रवों और उत्तकों के नमूनों पर नैदानिक जाँच करता है और चिकित्सा प्रयोगशाला या संबंधित क्षेत्र में औपचारिक प्रशिक्षण रखता है जिसमें जैविक सामग्री जिसके अन्तर्गत रक्त, मूत्र और मेरूदंडीय द्रव है, के विश्लेषण के लिए जाँच और संचालन उपकरण जैसे– स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कैलोरीमीटर और फ्लेम फोटोमीटर शामिल है।	(i) जैव प्रौद्योगिकीविद् (ii) जीव रसायनज्ञ (गैर–नैदानिक) (iii) कोशिका आनुवंशिक विज्ञानी (iv) सूक्ष्मजीव विज्ञानी (गैर–नैदानिक) (v) आणविक जीव वैज्ञानिक (गैर नैदानिक) (vi) आणविक आनुवंशिक विज्ञानी (i) कोशिका प्रौद्योगिकीविद् (ii) विधि विज्ञान प्रौद्योगिकीविद (iii) ऊतक प्रौद्योगिकीविद् (iv) हिमैटो प्रौद्योगिकीविद् (v) चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्	**2131** **3212**
2	**अभिघात, दहन देखभाल और शल्य चिकित्सा/संवेदना संबंधी प्रौद्योगिकी अभिघात एवं दहन देखभाल वृत्तिक** नोट : अभिघात और दहन देखभाल वृत्तिक वह व्यक्ति है जो चिकित्सक द्वारा कार्यान्वित उन कार्यों की तुलना में क्षेत्र और जटिलता में अधिक सीमित परामर्शी, नैदानिक, आरोग्यकारी और निवारक चिकित्सा सेवाओं जिसमें आपात चिकित्सा शामिल है, को प्रदान करता है। साथ ही आपात एवं दहन देखभाल प्रौद्योगिकीविद् वह है जो स्वायत्त या चिकित्सक के सीमित देखरेख में कार्य करता है और उपचार तथा क्षति निवारण एवं अन्य शारीरिक दुर्बलता हेतु उन्नत नैदानिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करता है। शल्य क्रिया एवं निश्चेतन संबंधी प्रौद्योगिकीविद् वृत्तिक	(i) उन्नत देखभाल चिकित्सा सहायक (ii) दहन देखभाल प्रौद्योगिकीविद् (iii) आपात चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् (चिकित्सा सहायक)	**2240** **2240** **3258**

	नोट : शल्यक्रिया निश्चेतन प्रौद्योगिकीविद् वृत्तिक वह व्यक्ति है जो शल्यक्रिया कक्ष में बहु–अनुशासनिक समूह का सदस्य होता है जो शल्यक्रिया कक्ष को तैयार एवं व्यवस्थित करता है। सम्पूर्ण शल्य क्रिया अवधि के दौरान निश्चेतक और शल्य क्रिया समूह की सहायता करता है तथा स्वास्थ्य लाभ कक्ष में मरीज को सहायता प्रदान करता है एवं मुख्य भूमिका में शामिल है एवं निश्चेतक उपकरण की स्थापना, जाँच तथा संसारण, शल्य क्रिया कक्ष तथा मेज को तैयार करना, केन्द्रीय विसंक्रमिक सेवाओं, विभागीय कार्यों का प्रबंधन एवं आपात स्थितियों तथा आपदा तैयारियों में सहायता एवं किसी अन्य नैदानिक क्षेत्र के संबंध में शल्य चिकित्सक तथा निश्चेतकों को सहयोग करना।	(i) निश्चेतन सहायक एवं प्रौद्योगिकीविद् (ii) शल्यक्रिया कक्ष (ओ0टी0) प्रौद्योगिकीविद् (iii) एंडोस्कोपी (अन्तः दर्शन) और लेप्रोस्कोपी प्रौद्योगिकीविद्	**3259** **3259** **3259**
3	**भौतिक चिकित्सा वृत्तिक** नोट : भौतिक चिकित्सा वृत्तिक वह व्यक्ति है जो व्यापक परीक्षण एवं उपयुक्त जाँच द्वारा भौतिक चिकित्सा का अभ्यास करता है। तैयारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को इस उद्देश्य के लिए या गतिविधि संबद्ध या कार्यात्मक शिथिलता, विकार, दिव्यांगता, उपचारात्मक तथा अभिघात से दर्द और बीमारी की रोकथाम के लिए भौतिक तौर–तरीके जिसमें व्यायाम, जुटाव, कार्य साधन विद्युतीय एवं तापीय अभिकर्ताओं तथा अन्य चिकित्सा जाँच, निदान, उपचार, स्वास्थ्य संवर्धन तथा स्वास्थ्य शामिल है, उपचार और परामर्श प्रदान करता है। भौतिक चिकित्सक स्वतंत्र रूप से या बहु–अनुशासनिक समूह के रूप में कार्य कर सकता है और उसके पास न्यूनतम अर्हता स्नातक डिग्री है।	भौतिक चिकित्सा	**2264**
4	**पोषण विज्ञान वृत्तिक** नोट– पोषण विज्ञान वृत्तिक वह व्यक्ति है जो मूल्यांकन, योजना तथा स्वास्थ्य पर आहार एवं पोषण के प्रभाव को बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों को लागू करने हेतु वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का पालन करता है, अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, व्यक्तिगत समूहों, समुदायों और जनसंख्या के साथ–साथ मानव स्वास्थ्य को सुधारने के लिए आहार तथा पोषण विज्ञान, पोषण, आहारिकी में प्रशिक्षण देकर बीमारी की रोकथाम और उपचार करता है।	(1) आहारविद् (नैदानिक आहारविद्, आहार सेवा आहारविद् सहित) (2) पोषणविद् (जन स्वास्थ्य पोषणविद्, खेलकूद पोषणविद् सहित)	**2265** **2265**
5	नेत्र विज्ञान वृत्तिक नोट : नेत्र विज्ञान वृत्तिक वह व्यक्ति है जो आँख, संबंधित बीमारी का अध्ययन करता है और दृश्य प्रणाली के विकार के प्रबंधन में विशेषज्ञता रखता है, जिसमें न्यूनतम चार वर्षों के स्नातक डिग्री रखने वाले दृष्टिमितिज्ञ तथा न्यूनतम दो वर्षों की मान्यताप्राप्त डिप्लोमा कार्यक्रम द्वारा नेत्र विज्ञान सहायक/दृष्टि तकनीशियन होने वाले चिकित्सक द्वारा किए गए कार्य का दायरा जटिलता सीमित रहती है।	(i) दृष्टिमितिज्ञ (ii) नेत्र विज्ञान सहायक (iii) दृष्टि तकनीशियन	**2267** **3256** **3256**

6	**व्यावसायिक चिकित्सा वृत्तिक** नोट– व्यावसायिक चिकित्सा वृत्तिक वह व्यक्ति है जो स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ाया देने से संबंधित ग्राहक केन्द्रित सेवाओं को दैनिक जीवन की गतिविधियों में भाग लेने के लिए लोगों को व्यवसाय के माध्यम से सक्षम बनाता है जिसमें वृत्तिक जैसे कि व्यावसायिक चिकित्सक, जो यह परिणाम लोगों और समुदायों के साथ उनके व्यवसाय, जिसमें उनकी अपेक्षा है, को शामिल करते हुए या व्यवसाय में परिवर्तन के द्वारा या उनके व्यावसायिक कार्य में बेहतर सहयोग के लिए वातावरण में उनकी क्षमता को बढ़ाता है। व्यावसायिक चिकित्सक स्वतंत्र रूप से या बहु–विषयक टीम के भाग के रूप में अभ्यास कर सकता है और उसके पास न्यूनतम अर्हता स्नातक डिग्री है।	व्यावसायिक चिकित्सक	**2269**
7	**सामुदायिक देखभाल, व्यावहारिक स्वास्थ्य विज्ञान एवं अन्य वृत्तिक सामुदायिक देखभाल** नोट– प्राथमिक और सामुदायिक देखभाल वृत्तिक वह व्यक्ति है जो क्षेत्र स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा, रेफरल, अनुवर्ती, मामला प्रबंधन एवं बुनियादी निवारक स्वास्थ्य देखभाल तथा गृह निरीक्षण सेवा विशिष्ट समुदायों को प्रदान करता है और रेफरल नेटवर्क स्थापित करने में तथा सामाजिक सेवा प्रणाली के मार्गदर्शन में व्यक्तियों और परिवारों की मदद और सहायता करता है। व्यावहारिक स्वास्थ्य विज्ञान वृत्तिक नोट : व्यावहारिक स्वास्थ्य विज्ञान वृत्तिक वह व्यक्ति है जो मनोभाव का वैज्ञानिक अध्ययन, व्यक्ति के मानसिक तंदुरूस्ती से संबंधित व्यवहार और जैविकी, दैनिक जीवन में उनके कार्य करने की क्षमता एवं उनके स्वयं की अवधारणा की जिम्मेदारी लेता है। ''व्यावहारिक स्वास्थ्य'' ''मानसिक स्वास्थ्य का मुख्य पद है जिसमें सलाहकार, विश्लेषक, मनोविज्ञानी शिक्षक एवं सहायक कार्यकर्त्ता जैसे वृत्तिक शामिल हैं जो व्यक्तियों, परिवारों, समूहों एवं समुदायों को सामाजिक एवं व्यक्तिगत परेशानी की प्रतिक्रिया में परामर्श, चिकित्सा और मध्यस्थता प्रदान करते हैं। अन्य देखाभ वृत्तिक	(i) पर्यावरण सुरक्षा अधिकारी (ii) पारिस्थितिकीविद् (iii) सामुदायिक स्वास्थ्य प्रोत्साहक (iv) व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिकारी (निरीक्षक) (i) मनोवैज्ञानिक (पी0डब्लू0डी0 हेतु आरसीआई के अधीन आच्छादित नैदानिक मनोवैज्ञानिक को छोड़कर) (ii) व्यावहारिक विश्लेषक (iii) एकीकृत व्यवहारिक स्वास्थ्य सलाहकार (iv) स्वास्थ्य शिक्षक एवं सलाहकार जिनके अंतर्गत रोग सलाहकार, मधुमेह शिक्षक, दुग्धपान परामर्शदाता है। (v) सामाजिक कार्यकर्त्ता जिसमें नैदानिक सामाजिक कार्यकर्त्ता, मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्त्ता, चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्त्ता शामिल हैं। (vi) मानव प्रतिरक्षी न्यूनता विषाणु (एचआईवी) सलाहकार या परिवार नियोजन सलाहकार (vii) मानसिक स्वास्थ्य सहयोगी कार्यकर्ता (i) पाद चिकित्सक (ii) प्रशामक देखभाल वृत्तिक (iii) संचलन चिकित्सक (कला, नृत्य और संचलन चिकित्सक या मनोरंजनात्मक चिकित्सक सहित)	**2133** **2133** **3253** **3257** **2634** **2635** **2635** **2635** **2635** **3259** **3259** **2269** **3259** **2269**

8	**विकिरण चिकित्सा विज्ञान, इमेजिंग एवं चिकित्सकीय प्रौद्योगिकी वृत्तिक** नोट :– चिकित्सीय इमेजिंग और चिकित्सीय प्रौद्योगिकी वृत्तिक में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो बीमारी और विकृतियों के निदान और उपचार के लिए शारीरिक संरचना की प्रतिकृति रूप प्रस्तुत करने के लिए रेडियोग्राफिक, अल्ट्रासाउंड और अन्य चिकित्सीय उपकरण से जाँच और संचालन करते हैं या विकिरण उपचार करते हैं तथा विकिरण चिकित्सक या अन्य चिकित्सा वृत्तिक की देखरेख के अधीन चिकित्सा प्रौद्योगिकी, विकिरण विज्ञान, सोनोग्राफी, मैमोग्राफी, नाभिकीय प्रौद्योगिकी, चुंबकीय संसाधन इमेजिंग, विकिरण मापी या विकिरण चिकित्सा में प्रशिक्षण के साथ रोगी की स्थिति की निगरानी करते हैं।	(i) चिकित्सा भौतिक विज्ञानी (ii) नाभिकीय औषधि प्रौद्योगिकीविद् (iii) विकिरण चिकित्सा एवं इमेजिंग प्रौद्योगिकीविद् [नैदानिक चिकित्सा, रेडियोग्राफर, चुम्बकीय प्रतिध्वनि इमेंजिंग (एमआरआई), परिकलित टोमोग्राफी (सीटी), मैमोग्राफर, नैदानिक चिकित्सा, सोनाग्राफर] (iv) रेडियोथेरापी प्रौद्योगिकीविद् (v) मात्रामितिक	**2111** **3211** **3211** **3211** **3211**
9	**चिकित्सा प्रोद्योगिकीविद् और चिकित्सक सह जैव चिकित्सा एवं चिकित्सा उपकरण प्रौद्योगिकी वृत्तिक सह चिकित्सक या सहायक चिकित्सक** नोट : सह चिकित्सक या चिकित्सक सहायक वह व्यक्ति है जो रोगी की देखभाल में सहयोग के लिए बुनियादी एवं प्रशासनिक कार्य को पूरा करता है तथा वह चिकित्सा प्रतिरूप में इस तरह प्रशिक्षित रहता है कि चिकित्सक की देखरेख में निवारक, नैदानिक एवं चिकित्सीय सेवा को पूरा करने में योग्य एवं समर्थ हो। हृदयवाहिका, तंत्रिका विज्ञान एवं फुफ्फुसीय प्रौद्योगिकी वृत्तिक नोट : हृदयवाहिका, तंत्रिका विज्ञान एवं फुफ्फसीय प्रौद्योगिकी वृत्तिक में वे व्यक्ति शामिल हैं जिन्होंने श्वसन तंत्रिका विज्ञान विषयक एवं परिसंचरण तंत्र की पढ़ाई की हो एवं गहन समझ रखते हों और इससे संबंधित जटिल उपकरण चलाने की योग्यता भी रखते हों और ऐसे वृत्तिक शामिल हैं जैसे परफ्युजनिस्ट, हृदयवाहिका प्रौद्योगिकीविद्, श्वसन प्रौद्योगिकीविद् एवं निष्क्रिय प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्। वृक्कीय प्रौद्योगिकीविद् वृत्तिक नोट : वृक्कीय प्रौद्योगिकी वृत्तिक वह व्यक्ति है जो रोगी को प्रभावी डायलिसिस चिकित्सा सुनिश्चित करने के लिए डायलिसिस प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी की जानकारी रखता है तथा इसमें ऐसे डायलिसिस चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् शामिल हैं जिनके पास स्नातक की डिग्री है और जो कृत्रिम रूप से वृक्क मशीन का संचालन और रखरखाव में स्वीकृत तरीकों का पालन करते हैं।	(i) जैव चिकित्सा अभियन्ता (ii) चिकित्सा उपकरण प्रौद्योगिकीविद् सह चिकित्सक (i) हृदयवाहिका प्रौद्योगिकीविद् (ii) परफ्यूजनिस्ट (iii) श्वसन प्रौद्योगिकीविद् (iv) विद्युत हृदयलेख (ईसीजी) प्रौद्योगिकीविद् या इकोकार्डियोग्राम (ईसीएचओ) प्रौद्योगिकीविद् (v) इलेक्ट्रोएनसीफेलोग्राम (ईईजी) या विद्युत तंत्रिका प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् (ईएनडी) तंत्रिका प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् निक्रिष्य प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् डायलिसिस, चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् या मूत्र विज्ञान प्रौद्योगिकीविद्	**2149** **3211** **3256** **3259** **3259** **3259** **3259** **3259**
10	स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन एवं स्वास्थ्य सूचक वृत्तिक	((i) स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन वृत्तिक (चिकित्सा अभिलेख विश्लेषक सहित)	**3252**

31

	नोट : स्वास्थ्य एवं सूचना प्रबंधन वृत्तिक वह व्यक्ति है जो चिकित्सा सुविधा एवं अन्य स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था में स्वास्थ्य अभिलेख प्रक्रिया, संग्रहण और पुनः प्राप्ति को विकसित, लागू और मूल्यांकन करता है ताकि कानूनी, वृत्तिक, नैतिक और स्वास्थ्य सेवा वितरण की प्रशासनिक अभिलेख संग्रहण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और स्वास्थ्य देखभाल उद्योग की संख्यात्मक कूट लेखन प्रणाली के अनुरूप स्वास्थ्य आवश्यकताओं और मानकों के लिए रोगी के रिपोर्ट की जानकारी को संसाधित, संधारित और संकलित किया जा सके।	(ii) स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रौद्योगिकीविद् (iii) नैदानिक कोडर (कूट लेखक) (iv) चिकित्सा सचिव एवं चिकित्सा प्रतिलिपिक	**3252** **3252** **3344**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के अपर सचिव।

,

The 15th March 2024

Bihar State Allied and Healthcare Council Rules, 2024

No. 04/विविध–06–50/2021–286(4)/स्वा0––In exercise of powers conferred under section 68 of The National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021the Governor of Bihar makes the following Rule.

1. Short title, description and commencement:

(1) This rule shall be called Bihar State Allied and Healthcare Council Rules, 2024.

(2) This shall extend to the whole of State of Bihar .

(3) This shall come in to force from the date of publication in official Gazette of Bihar.

2. Definitions : In these rules, unless the context otherwise requires:

(a) "Act" means The National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021.

(b) "Rules" means the BiharState Allied and Healthcare Council Rules, 2024.

(c) "Authority" means Chairman of BiharState Allied and Healthcare Council.

(d) "allied and healthcare institution" means an educational or research institution which grants diploma or undergraduate, postgraduate or doctoral degree or any other post degree certification in any allied and healthcare professional under this Rules.

(e) "allied and healthcare qualification" means a recognised diploma or degree possessed by an allied and healthcare professional through regular learning mode under this Act or any additional recognised course obtained thereafter.

(f) "Chairperson" means the Chairperson of the council appointed under clause (a) of section 3 of this rule.

(g) "Member" means a Member of the Council, including the Chairperson, Vice-Chairperson and Part-time Member.

(h) "allied health professional" includes an associate, technician or technologist who is trained to perform any technical and practical task

to support diagnosis and treatment of illness, disease, injury or impairment, and to support implementation of any healthcare treatment and referral plan recommended by a medical, nursing or any other healthcare professional, and who has obtained any qualification of diploma or degree under this Act, the duration of which shall not be less than two thousand hours spread over a period of two years to four years divided into specific semesters.

(i) "Autonomous Board" means the Autonomous Board constituted under sub-section(l) of section 10 of this rule.

(j) "healthcare professional" includes a scientist, therapist or other professional who studies, advises, researches, supervises or provides preventive, curative, rehabilitative, therapeutic or promotional health services and who has obtained any qualification of degree under this Act, the duration of which shall not be less than three thousand six hundred hours spread over a period of three years to six years divided into specific semesters.

(k) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act.

(l) "recognised categories" means any category of the allied and healthcare professionals specified in the Schedule.

(m) "regulations" means the regulations made by the Bihar allied and healthcare council.

(n) "Schedule" means the Schedule annexed to this Rules.

(o) "Council" means Bihar State Allied and healthcare Council constituted under sub-section (l) of section 3 of this rule.

(p) "Commission" means the National Commission for Allied and Health Care Profession Constituted under the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act 2021

(q) "State Government" means The Government of Bihar

(r) "State Register" means the Bihar State Allied and Healthcare Professionals' Register maintained under section 13 of this rule.

(s) "Task shifting" means the process whereby specific tasks are moved, where appropriate to related allied and healthcare professionals specialised in those tasks, by reorganising the health workforce efficiently for improved healthcare.

(t) "University" means a University defined under clause (f) of section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 and includes and institution declared to be a deemed University under section 3 of that Act.

3. **The Constitution and composition of Bihar State Allied and Healthcare Council.-**

(i) Every State Government shall, by notification, constitute a State Council to be called the State Allied and Healthcare Council for exercising such powers and discharging such duties as may be laid down under this rule.

(ii) The State Council shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of property, both movable and

immovable, and to contract and shall by the same name sue or be sued.

(iii) The State Council shall consist of the following, namely:—

(a) a person of outstanding ability, proven administrative capacity and integrity, possessing a postgraduate degree in any profession of recognised category of allied and healthcare sciences from any University and having experience of not less than twenty-five years in the field of allied and healthcare sciences, out of which at least ten years shall be as a leader in the area of allied and healthcare professions to be nominated by the State Government-Chairperson;

(b) one Director or Additional Director or Joint Director representing medical or health sciences in the State Government -ex *officio* Member:

(c) Two persons not below the rank of Dean or Head of the Department from any medical colleges of the State Government- ex *officio* Members;

(*d*) president of the Autonomous Boards constituted by the State Council under sub-section (1) of section 10 of this rule -ex *officio* Member;

(e) two persons representing each of the recognisedcategories specified in the Schedule to be nominated by the State Government having such qualifications and experience as may be prescribed by the State Government -Members; and

(f) two persons, representing charitable institutions engaged in education or services in connection with any recognised category, to be nominated by the State Government having such qualifications and experience as may be prescribed by the State Government -Members

4. Terms and conditions of service of Member.-

(1) The Chairperson of the Council and Member nominated under clauses (e) and (f) sub-section (3) shall hold office for a term not exceeding two years from the date on which they enter upon their office and shall be eligible for re-nomination for a maximum period of two terms.

(2) The Members nominated to the Council under clauses (e) and (f) of Sub-section (iii) of section 3 shall receive such travelling and other allowances as may be prescribed by the State Government.

5. Resignation and removal of Member.-

(1) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 4,the Chairperson of the Council and Member nominated under clauses (e) and *(f*) of sub-section (iii) of section 3 may-

(i) relinquish his office by giving in writing to the State Government notice of not less than three months. or

(ii) be removed from his office if he -

(a) has been adjudged insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of

the State Government, involves moral turpitude; or

(c) has become physically or mentally incapable of acting as a Member: or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a Member: or

(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest.

(2) No such Member shall be removed from his office under clause (d) or clause (e) of sub-section (*l*) unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

6. Cessation of membership and filling up of casual vacancy of Member.-

(1) A Member under clause (b) or clause (c) of sub-section (iii) of section 3, shall cease to be a Member of the Council on his cessation to the service by virtue of which he was appointed as a Member of the Council.

(2) The Chairperson or any other Member appointed under any casual vacancy in the Council under sub-section (iii) of section 3, shall hold office only for the remainder of the term of the member in whose place he has been appointed.

7. Meetings of BiharState Allied and Healthcare Council.-

(i) The Council shall meet at such times and places, and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings (including quorum of such meetings) in the manner as may be prescribed by the State Government.

(2) The Chairperson of the Council, if for any reason, he is unable to attend a meeting of the Council, any other member chosen by the members present from amongst themselves at the meeting shall preside over the meeting

(3) All questions which come up before any meeting of the Council shall be decided by a majority of the members present and voting, and in the event of an equality of votes, the Chairperson of the Council or in his absence, the member of the Council presiding shall have a second or casting vote.

8. **Vacancies, etc, not to invalidate proceedings of BiharState Allied and Healthcare Council.-**

(1) No act or proceeding of the Council shall be invalidated merely by reason of-

(a) any vacancy in, or any defect in the constitution of the Council: or

(b) any defect in the appointment of a person acting as a member of the Council:

(c) any irregularity in the procedure of the Council not affecting the merits of the case

9. Officers and other employees of BiharState Allied and Healthcare Council.-

(1) Subject to such rules as may be made by the State Government in this behalf, the Council may appoint a Secretary and such other

employees as it may think necessary for the efficient performance of its functions under this Act.

(2) The salaries and allowances payable to, and other conditions of service of, the Secretary, other officers and employees of the Council appointed under sub-section (1) shall be such as may be prescribed by the State Government.

10. Constitution and functions of Autonomous Boards.-

(1) The Council shall, by notification, constitute the following Autonomous Boards for regulating the allied and healthcare professionals, namely.

(a) Under-graduate Allied and Healthcare Education Board,

(*b*) Post-graduate Allied and Healthcare Education Board,

(c) Allied and Healthcare Professions Assessment and Rating Board, and

(d) Allied and Healthcare Professions Ethics and Registration Board

(2) The Autonomous Boards constituted under sub-section (1) shall consist of a president and such number of members from each recognised category as may be specified by the regulations and shall be appointed by the State Government.

(3) The Under-graduate Allied and Healthcare Education Board and Post-graduate Allied and Healthcare Education Board shall determine standards of allied and healthcare education at the graduate, postgraduate level and super-speciality level, develop competency based on dynamic curriculum content, reviewing institutional standards against norms, faulty development, approval of courses of recognised qualification and other functions as entrusted by the Council for Under Graduate Education and Post Graduate Education

(4) The Allied and Healthcare Profession Assessment and Rating Board shall determine the procedure for the assessment and rating of allied and healthcare institutions by providing for inspection of institutions, grant permission for establishment of new allied and healthcare institutions and seat capacity, empanelling assessors, imposing warnings or fines, recommend for withdrawal of recognition of institutions and any other function as entrusted by the Council to ensure maintenance of minimum essential standards.

(5) The Allied and Healthcare Profession Ethics and Registration Board shall maintain online and live State Registers of all licensed allied and healthcare practitioners in the State, regulate the professional conduct and promotion of ethics and undertake any other function as entrusted by the Council.

(6) The Under-graduate Allied and Healthcare education or Post-graduate Allied and Healthcare education or Allied and Healthcare Professions Assessment and Rating or Allied and Healthcare Professions Ethics and Registration shall perform such other functions as may be specified by regulations.

11. Functions of BiharState Allied and Healthcare Council.-

(1) It shall be the duty of the Council to take all such steps as it may think fit for ensuring the co-ordinated and integrated development of education and maintenance of the standards of delivery of services under this Act and, for the purposes of performing its functions, the Council Shall-

(a) enter the name of the recognised categories, enforce the professional conduct, code of ethics and etiquette to be observed by the allied and healthcare professionals in the State and take disciplinary action, including the removal of a professionals' name from the State Register;

(b) ensure minimum standards of education, courses, curricula, physical and instructional facilities staff pattern, staff qualifications, quality instructions, assessment, examination, training, research, continuing professional education;

(c) ensure uniform entry examination with common counselling for admission into the allied and healthcare institutions at the diploma, undergraduate. postgraduate and doctoral level under this Act;

(d) ensure uniform exit or licensing examination for the allied and healthcare professionals under this Act;

(e) inspect allied and healthcare institutions and register allied and healthcare professionals in the State;

(f) ensure compliance of all the directives issued by the Commission;

(g) provide minimum standards framework for machineries, materials and services;

(h) approve or recognise courses and intake capacity for courses;

(i) impose fine upon institutions in order to maintain standards: and

(j) Perform such other functions as may be entrusted to it by the State Government for implementation of the provisions of this rule.

12. Constitution of Advisory Board.

(1) The Council may constitute as many professional Advisory Boards as may be necessary to examine the issues relating to one or more recognised categories and to recommend the Council and also to undertake any other activity as may be authorised by the Council .

13. State Allied and healthcare Professionals' Register.-

(1) The Council shall maintain online and live State Register of persons in separate parts for each of the recognised categories to be known as the State Allied and Healthcare Professional's Register which shall contain information including the name of person and qualifications relating to any of their respective recognised categories in such manner as may be specified by regulations.

(2) The State Register shall contain the details of academic qualification institutions, training, skill and competencies of Allied and Healthcare Professionals related to their profession in the

manner as may be specified by regulations.

(3) The State Register shall be deemed to be a public document within the meaning of the Indian Evidence Act, 1872, and may be proved by a certified copy provided by the Council .

14. Registration in State Register.

(1) A person shall be entitled, on an application and on payment of such fees as may be prescribed by the State Government, to have his name entered in the State Register if he resides in the State and holds a recognised allied and healthcare qualification.

(2) Upon the application to the Council, if the Council is of the opinion that the applicant is entitled to have his name entered on the State Register, the Stale Council shall enter thereon the name of the applicant.

(3) Upon entry of a name in the State Register under this section, the Secretary of the Council shall issue to the applicant a certificate of registration in such form as may be prescribed by the State Government

(4) The certificate of registration of Allied and Healthcare Profession shall be valid for a period of five years, and renewal of such registration shall be in such form and in such manner as specified by regulations for the respective profession.

(5) Any person whose application for registration is rejected by the Council may, within one month from the date of such rejection, appeal to the Commission [The National Commission for allied and healthcare professions].

15. Issue of duplicate certificates.-

(1) Where it is shown to the satisfaction of the Secretary of the Council that a certificate of registration or a certificate of renewal has been lost or destroyed, the Council may, on payment of such fee, issue a duplicate certificate in such form as may be prescribed by the State Government.

16. Renewal of name of Allied and Healthcare Professionals in the State Register.-

(1) There shall be paid in every five years to the Council, such fee in such manner as may be prescribed by the State Government for renewal of name of allied and healthcare professionals in the State Register.

(2) Where the fee under sub-section (1) is not paid within the specified period, the Secretary of the Council shall remove the name of the defaulter from the State Register :

Provided that a name so removed may be restored to the said register on payment of such fee as may be prescribed by the State Government.

(3) On payment of the fee under sub-section (1), the Secretary of the Council shall issue a certificate of renewal and such certificate shall be proof of renewal of registration .

17. Removal of name of a person from State Register.-

(1) The Council may, by order, after giving that person a reasonable opportunity of being heard and after such further inquiry, if any. as it may think fit-

(a) that his name has been entered in the State Register by error or on account of mis-representation or suppression of a material fact; or

(b) that he has been convicted of an offence involving moral turpitude and punishable with imprisonment or has been guilty of any infamous conduct in any professional respect or has violated the standards of professional conduct and etiquette or the code of ethics which in the opinion of the Council renders him unfit to be kept in the said register.

Remove the name of the person from the state register.-

(2) Any person whose name has been removed from the State Register under sub-section (1) shall be ineligible for registration under this rule, either permanently or for such period as may be specified by regulations:

(3) An order under sub-section (1) shall not take effect until the expiry of three months from the date thereof until an appeal, if any, on such order is finally disposed of, whichever date is later

(4) A person aggrieved by an order under sub-section (1) may, within thirty days from the communication of such order, prefer an appeal to the Commission and, after giving an opportunity of being heard, the Commission shall, within a period of ninety days from the date of filing of such appeal, pass such order as it thinks fit.

(5) A person whose name has been removed from the State Register under this section or under sub-section (2) of section 16 shall forthwith surrender his certificate of registration or certificate of renewal, if any, to the Council and the name so removed shall be published on the website of the Council, and in one daily local newspaper in vernacular language

(6) A person whose name has been removed from the State Register under this section shall not be entitled to have his name registered in the State Register or in any other State Register except with the approval of the Council from whose register his name has been removed.

18. Restoration of name of a person in the State Register.-

The Council may, at any time for reasons appearing to it as sufficient and upon payment of such fee as may be prescribed by the State Government, order that the name of a person removed from a State Register shall be restored and the name shall be uploaded on the website of the Council, and in one daily local newspaper in vernacular language

19. Recognition of persons offering services prior to commencement of Rule.-

Every person who offers his services in any of the recognised categories on or before the commencement of this rule shall be allowed to be

provisionally registered under the provisions of this rule within such period from such commencement in such manner as may be specified by regulations.

20. Permission for establishment of new allied and healthcare institutions, new courses of study, etc.

(1) Notwithstanding anything contained in this rule or any other law for the time being in force, on and from the date of commencement of this rule :-

(a) No person shall establish an allied and healthcare institution; or

(b) No allied and healthcare institution shall -

(i) open a new or higher course of study or training (including post-graduate course of study or training) which would enable students of each course of study or training to qualify himself for the award of any recognised allied and healthcare qualification, or

(ii) Increase its admission capacity in any course of study or training (including post-graduate course of study or training); or

(iii) Admit a new batch of students in any unrecognised course of study or training (including post-graduate course of study or training), except with the previous permission of the Council obtained in accordance with the provisions of this rule:

Provided that the allied and healthcare qualification granted to a person in respect of a new or higher course of study or new batch without previous permission of the Council shall not be a recognised allied and healthcare qualification for the purposes of this rule:

(2) (a) Every person or allied and healthcare institution shall, for the purpose of obtaining permission under sub-section (1), submit to the Council a scheme in accordance with the provisions of clause (b).

*(*b) The scheme referred to in clause (a) shall be in such form and contain such particulars and be preferred in such manner and be accompanied with such fee as may be prescribed by the State Government

(3) On receipt of a scheme under sub-section (2), The Council may obtain such other particulars as may be considered necessary by it from the person or the allied and healthcare institution concerned, and thereafter, it may;-

(a) if the scheme is defective and does not contain any necessary particulars, give a reasonable opportunity to the person or allied and healthcare institution concerned for making a written representation and it shall be open to such person or allied and healthcare institution to rectify the defects, if any, specified by the Council ;

(b) consider the scheme, having regard to the factors referred to in

sub-section (5).

4. The Council may, after considering the scheme and after obtaining, where necessary, such other particulars under sub-section (2) as may be considered necessary by it from the person or allied and healthcare institution concerned, and having regard to the factors referred to in sub-section (5), either approve with such conditions, if any, as it may consider necessary or disapprove the scheme and any such approval shall constitute as a permission under sub-section (1):

Provided that no such scheme shall be disapproved by the Council except after giving the person or allied and healthcare institution concerned a reasonable opportunity of being heard:

Provided further that nothing in this sub-section shall prevent any person or allied and healthcare institution whose scheme has not been approved by the Council to submit a fresh scheme and the provisions of this section shall apply to such scheme, as if such scheme had been submitted for the first time under sub-section (2).

(5) The Council shall, while passing an order under sub-section (4), have due regard to the following factors, namely: -

(a) whether the proposed allied and healthcare institution or the existing allied and healthcare institution seeking to open a new or higher course of study of training, would be in a position to offer the basic standards of education as specified by regulations;

*(*b) whether the person seeking to establish an allied and healthcare institution or the existing allied and healthcare institution seeking to open a new or higher course of study or training or to increase its admission capacity has adequate financial resources:

(c) whether necessary facilities in respect of stall, equipment, accommodation, training, hospital and other facilities to ensure proper functioning of the allied and healthcare institution or conducting the new course of study or training or accommodating the increased admission capacity have been provided or would be provided as may be specified in the scheme;

(d) whether adequate facilities, having regard to the number of students likely to attend such allied and healthcare institution or course of study or training or as a result of the increased admission capacity, have been provided or would be provided as may be specified in the scheme;

(e) whether any arrangement has been made or programme drawn lo impart proper training to students likely to attend such allied and healthcare institution or the course of study or training by the persons having the recognised allied and healthcare qualifications:

(*f*) The requirement of manpower in the allied and healthcare institution; and

(g) Any other factors as may be specified by regulation

(6) Where the Council passes an order under sub-section (4). a copy of the order shall be communicated to the person or allied and healthcare institution as the case may be.

(a) "Person" includes any University, institution or a trust, but does not include the Central Government or State Government:

(*b*) "admission capacity", in relation to any course of study or training (including post-graduate course of study or training) in an allied and healthcare institution, means the maximum number of students as may be decided by the Council from time to time for being admitted to such course of study or training ,

21 .Power to require information from allied and healthcare institutions.-

(1) Any University or college or institution imparting education in any recognised category shall furnish information to the Council regarding course of study, duration of course, scheme of assessment and examinations and other eligibility conditions in order to obtain the requisite qualifications as an allied and healthcare institution under this Act as the council may from time to lime require.

(2) Any University or college or institution imparting education in any recognised category as on the date of commencement of this rule shall furnish to the Council such information in such manner as may be specified by regulations.

22. Recognition of allied and healthcare qualifications byBiharState Allied and Healthcare Council.-

(1) The Council Shall cause to verify the standards of any allied and healthcare institution where education in the recognised category is given, or to attend any examination held by any educational or research institution for the purpose of recognition of allied and healthcare qualifications by that allied and healthcare institution in such manner as may be specified by regulations.

(2) The verification made under sub-section (1) shall not interfere with the conduct of any training or examination, but shall be for the purpose of reporting to the Council on the adequacy of the standards of education including staff. equipment, accommodation, training and other facilities for giving education in the recognised categories, as the case may be, or on the sufficiency of every examination which they attend.

(3) The Council shall forward a copy of the report of verification of standards to the allied and healthcare institution concerned and a copy with remarks of the institution thereon to the Commission.

23. Withdrawal of recognition.-

(1) On receipt of a report from the State Council, if the Commission is of the opinion that-

(a) the courses of study and examination to be undergone in, or the proficiency required from candidates at any examination held by a University or any allied and healthcare institution do not conform to the standards specified by the Commission for the respective courses, as the case may be; or

(b) the standards and norms for infrastructure, faculty and quality of education in allied and healthcare institution as determined by the Commission for the respective courses, as the case may be, are not adhered to by any University or allied and healthcare institution, and such University or allied and healthcare institution has failed to take necessary corrective action to maintain specified minimum standards,

it may initiate action in accordance with the provisions of sub-section(2).

(2) After considering such representations, and on such enquiry as it may deem fit, the Commission may, within a period of ninety days from the date of receipt from the State Council under sub-section(1), by order, withdraw the recognition granted to the allied and healthcare institution:

Provided that before any order passed, the Commission shall afford, the allied and healthcare institution and the State Government within whose jurisdiction the allied and healthcare institution is situated an opportunity of being heard:

provided further that the Commission shall, before taking any action for withdrawal of recognition granted to the allied and healthcare professionals qualification awarded by a University or allied and healthcare institution, impose fine in consultationwith the concerned State Council.

(3) The Commission may, after making such further inquiry, if any, as it may think fit, by notification, direct that,-

(a) any allied and healthcare qualification shall be a recognised qualification under this Rule only when granted before a specified date; or

(b) any allied and healthcare qualification if granted to students of a specified allied and healthcare institution shall be the recognised qualification only when granted before a specified date;or

(c) any qualification shall be the recognised qualification in relation to a specified allied and healthcare institution only when granted after a specified date.

24. Failure to maintain minimum essential standards by allied and healthcare institutions.

The Council may take such measures, including issuing warning, imposing fine, reducing intake or stoppage of admissions and recommending to the Commission for withdrawal of recognition, against an allied and healthcare institution for failure to maintain the minimum essential standards specified by the Commission under the National Commission for

allied and heal``thcare professions act 2021.

25. Grants by State Government.-

The State Government may, after due appropriation made by State Legislature by law in this behalf, make to the State Council grants of such sums of money as the State Government may think fit for being utilised for the purposes of this rule.

26. State Allied and Healthcare Council Fund.-

(1) There shall be constituted a Fund to be called the State Allied and Healthcare Council Found and there shall be credited thereto:-
   (a) all sums of money received from the State government;
   (b) all sums of money received by the Council by way of grants, fees benefactions, bequests and transfers; and
   (c) all sums of money received by the Council in any other manner or from any other source as may be decided by the State Government.

(2) All receipts of the Commission and Council shall be routed through an online payment portal of the Commission and one-fourth of all the receipts shall be transferred to the National Allied and Healthcare Fund and three-fourth of all the receipts shall transfer to the relevant State Allied and Healthcare Council Fund through that portal,

(3) The fund referred to in sub-section (1) shall be applied for the expenses of the Council incurred in discharge of its functions for the purposes of this Rule in the manner as may be prescribed by the State Government.

27. Accounts and audit ofBiharState Allied and Healthcare Council.-

(1) The Council shall maintain appropriate accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts including the balance sheet, in accordance with such general directions as may be issued and in such form as may be specified by the State Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India.

(2) The accounts of the Council shall be audited annually by the Comptroller and Auditor-General of India or any person appointed by him in this behalf and any expenditure incurred by him or any person so appointed in connection with such audit shall be payable by the Council to the Comptroller and Auditor-General of India.

(3) The Comptroller and Auditor-General of India and any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Council shall have the same rights and privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor-General of India has in connection with the audit of Government accounts, and, in particular, shall have the right to demand the production of books of account, connected vouchers and other documents and papers and to inspect the office of the Council.

(4) The accounts of the Council as certified by the Comptroller and Auditor-General of India or any person appointed by him in this

behalf, together with the audit report thereon, shall be forwarded annually to the State Government and that Government shall cause the same to be laid before each House of State Legislature where it consists of two Houses, or where such Legislature consists of one House, before that House.

28. Annual report of Bihar State Allied and Healthcare Council.-

The Council shall prepare every year, in such form and within such time as may be prescribed by the State Government an annual report giving a true and full account of its activities during the previous year and copies thereof shall be forwarded to the State Government and that Government shall cause the same to be laid before each House of the State Legislature, where it consists of two houses, or where such Legislature consists of one house, before that house

29. Authentication of orders, etc.

All orders and decisions of the Council, as the case may be, and the instruments issued by it shall be authenticated by the Secretary or any other officer authorised by the Chairperson in this behalf.

30. Practice by allied and healthcare professionals.-

No allied and healthcare professional shall discharge any duty or perform any function not authorised by this Rule or any treatment not authorised within the scope of practice of the profession.

31. Penalty for falsely claiming to be entered in State Register.-

If any person whose name is not for the time being entered in the State Register falsely represents that it is so entered or uses in connection with his name or title any words or letters to suggest that his name is so entered, he shall be punished on first conviction with fine which may extend to fifty thousand rupees, and on any subsequent conviction with imprisonment which may extend to six months or with fine not exceeding onelakhrupees or with both.

32. Misuse of titles.

If any person;

(a) not being a person registered in the State Register, takes or uses the description of an allied and healthcare professional, or

(b) not possessing an allied and healthcare qualification under this rule, uses a degree or a diploma or a license or an abbreviation indicating or implying such qualification, shall be punished on first conviction with fine which may extend to one lakh rupees, and on any subsequent conviction with imprisonment which may extend to one year or with fine not exceeding two lakh rupees or with both.

33. Failure to surrender certificate of registration.-

If any person whose name has been removed from the State Register, he shall surrender forthwith his certificate of registration or certificate of renewal, as the case may be, or both, failing which he shall be punishable with fine which may extend to fifty thousand rupees and in case of a continuing offence with an additional fine which may extend to five thousand rupees per day after the first day during which the offence continues.

34. Penalty for contravention of provisions of rule.-

Whoever contravenes any of the provisions of this rule or any rules or regulations made thereunder shall be punished with imprisonment which shall not be less than one year but which may extend to three years or with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to five lakh rupees or with both .

35. Cognizance of offences.-

(1) No court shall take cognizance of any offence punishable under this Rule except upon a complaint made by the Central Government, theState Government, the Council, as the case may be.

(2) No court inferior to that of a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class shall try any offence punishable under this Rule.

36. Bar of jurisdiction.-

No Civil Court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any order made by the Council relating to the removal of a name or the refusal to enter a name in the State Register, as the case may be, under this Rule.

37. Protection of action taken in good faith.-

No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or against the Chairperson, Vice-Chairperson or any other Member of the Council or any member of the Autonomous Board, as the case may be, for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Rule or any rule made there under in the discharge of their official duties.

38. Power to remove difficulties.-

(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Rule, the Bihar Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Rule, as may appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

39. Power to amend Rules-

(1) The Bihar Government (Health Department) may after consultation with law department by a notification, add to or otherwise amend the Schedule for the purposes of this ruleand thereupon the said schedule shall be deemed to be an amended accordingly.

By the order of the Governor of Bihar
Sd/-Illigible,
Additional Secretary to the Government.

The Schedule
[See Section 2(n)]

Serial Number	Recognised Category	Allied and Healthcare Professional	ISCO Code
1	2	3	4
1	**Medical Laboratory and Life Sciences Life Science Professional** Note: Life Science Professional is a person who has knowledge of application of research on human and other life forms, their interactions with each other and the environment, to develop new knowledge, and solve human health and environmental problems and who works in diverse fields such as bacteriology, biochemistry, genetics, immunology, pharmacology, toxicology and virology and who collect, analyse and evaluate the experimental and field data to indentify and develop new processes and techniques among others.	(i) Biotechnologist (ii) Biochemist (non-clinical) (iii)Cell Geneticist (iv) Microbiologist (non-clinical) (v) Molecular Biologist (non-clinical) (vi) Molecular Geneticist	2131
	Medical Laboratory Sciences Professional Note: Medical and pathology laboratory professional is a person who performs clinical test on specimens of bodily fluids and tissues in order to get information about the health of a patient or cause of death and having formal training in medical laboratory technology or related field, which includes testing and operating equipment such as spectrophotometers, calorimeters and flame photometers for analysis of biological material including blood, urine and spinal fluid.	(i) Cytotechnologist (ii) Forensic Science Technologist (iii) Histotechnologist (iv) Hemato Technologist (v) Medical Lab Technologist	3212
2	**Trauma, Burn Care and Surgical/Aesthesia related technology Trauma and Burn Care Professional** Note: Trauma and Burn Care Professional is a person who provides advisory, diagnostic, curative and preventive medical services more	(i) Advance Care Paramedic (ii) Burn Care Technologist (iii) Emergency Medical Technologist (Paramedic)	2240 2240 3258

	limited in scope and complexity than those carried out by a medical doctor including emergency and burn care technologist who work autonomously, or with limited supervision of medical doctors and apply advanced clinical procedures for treating and preventing injuries and other physical impairments. Surgical and Anaesthesia-related Technology professional. Note: Surgical and Anaesthesia-related Technology professional is a person who is a member of a multi-disciplinary team in the operation theatres, who prepares and maintains an operating theatre, assists the anaesthetist and surgical team during peri-operative period and provides support to patients in the recovery room and the main role includes the set up, check, and maintains anaesthesia equipment, preparation of operation room and table, management of the central sterile services department functions, assistance in emergency situations and disaster preparedness and support of the surgeons and anaesthetists in any other related clinical area.	(i) Anaesthesia Assistants and Technologists (ii) Operation Theatre (OT) Technologists (iii) Endoscopy and Laparoscopy Technologists	3259 0259 3259
3	**Physiotherapy Professional** Note: Physiotherapy Professional is a person who practices physiotherapy by undertaking comprehensive examination and appropriate investigation, provides treatment and advice to any persons preparatory to or for the purpose of or in connection with movement or functional dysfunction, malfunction, disorder, disability, healing and pain from trauma and disease, using physical modalities including exercise, mobilization, manipulations, electrical and thermal agents and	Physiotherapist	2264

	other electro therapeutics for prevention, screening, diagnosis, treatment, health promotion and fitness. The physiotherapist can practice independently or as a part of a multi-disciplinary team and has a minimum qualification of a baccalaureate degree.		
4	**Nutrition Science Professional** Note: Nutrition Science Professional is a person who follows a scientific process to assess, plan and implement programmes to enhance the impact of food and nutrition on health, promote good health, prevent and treat disease to optimize the health of individuals, groups, communities and populations as well as on human health with training in food and nutritional science, nutrition, dietetics.	(i) Dietician (including Clinical Dietician, Food Service Dietician) (ii) Nutritionist (including public Health Nutritionist, Sports Nutritionist)	2265 2265
5	**Ophthalmic Sciences Professional** Note: Ophthalmic Sciences Professional is a person who studies eye, related ailments and specialises in the management of disorders of eye and visual system, limited in scope and complexity as performed by a medical doctor having Optometrists with a minimum of four years of baccalaureate degree and Ophthalmic Assistants/Vision Technician with a minimum of two years recognised diploma programme.	(i) Optometrist (ii) Ophthalmic Assistant (iii) Vision Technician	2267 3256 3256
6	**Occupational Therapy Professional** Note: Occupational Therapy Professional is a person who delivers client-centred services concerned with promoting health and well-being through occupation to enable people to participate in the activities of everyday life, which includes professionals such as Occupational Therapists who achieve this outcome by working with people and communities to enhance their ability	Occupational Therapist	2269

	engage in the occupations they are to expected to do, or by modifying the occupation or the environment to better support their occupational engagement. The Occupational therapist can practice independently or as a part of a multi-disciplinary team and has a minimum qualification of a baccalaureate degree.		
7	**Community Care, Behavioural Health Sciences and other Professionals Community Care** Note: Primary and Community Care Professional is a person who provides health education, referral and follow up, case management, and basic preventive healthcare and home visiting services to specific communities at field level and provides support and assistance to individuals and families in navigating the health and social services system and establish a referral network.	(i) Environment Protection Officer (ii) Ecologist (iii) Community Health promoters (iv) Occupational Health and Safety Officer (Inspector)	2133 2133 3253 3257
	Behavioural Health Sciences Professional Note: Behavioural Health Sciences Professional is a person who undertakes scientific study of the emotions, behaviours and biology relating to a person's mental well-being, their ability to function in everyday life and their concept of self. "Behavioural health" is the preferred term to "mental health" and includes professionals such as counsellors, analysts, psychologists, educators and support workers, who provide counselling, therapy and mediation services to individuals, families, groups and communities in response to social and personal difficulties.	(i) Psychologist (Except Clinical Psychologist covered under RCI for PWD) (ii) Behavioural Analyst (iii) Integrated Behaviour Health Counsellor (iv) Health Educator and Counsellors including Disease Counsellors, Diabetes Educators, Lactation Consultants (v) Social workers including Clinical Social Worker, Psychiatric Social Worker, Medical Social Worker (vi) Human Immunodeficiency Virus (HIV) Counsellors or Family planning Counsellors (vii) Mental Health Support Workers	2634 2635 2635 2635 3259 3259
	Other Care Professionals	(i) Podiatrist (ii) Palliative Care Professionals	2269 3259

		(iii) Movement Therapist (including Art, Dance and Movement Therapist or Recreational Therapist)	2269
8	**Medical Radiology, Imaging and Therapeutic Technology Professional** Note: Medical Imaging and Therapeutic Equipment Technology Professionals include persons who tests and operate radiographic, ultrasound and other medical imaging equipment to produce images of body structures for the diagnosis and treatment of injury, disease and other impairments or administers radiation treatments and monitor patients' conditions with training in medical technology, radiology, sonography, mammography, nuclear medical technology, Magnetic Resource Imaging, Dosimetry or radiotherapy, under the supervision of radiologist or other medical professional.	(i) Medical Physicist (ii) Nuclear Medicine Technologist (iii) Radiology and Imaging Technologist [Diagnostic Medical Radiographer, Magnetic Resonance Imaging (MRI), Computed Tomography (CT), Mammographer, Diagnostic Medical Sonographers] (iv) Radiotherapy Technologist (v) Dosimetrist	2111 3211 3211 3211 3211
9	**Medical Technologists and Physician Associate Biomedical and Medical Equipment Technology Professional** **Physician Associate or Physician Assistant** Note: Physician Associate or Physician Assistant is a person who performs basic clinical and administrative tasks to support patient care and is trained in a medical model such that he is qualified and competent to perform preventive, diagnostic and therapeutic services with physician supervision.	(i) Biomedical Engineer (ii) Medical Equipment Technologist Physician Associates	2149 3211 3256
	Cardio-vascular, Neuroscience and Pulmonary Technology Professional Note: Cardio-vascular, Neuroscience and Pulmonary Technology Professionals include those persons who have studied and have thorough	(i) Cardiovascular Technologists (ii) Perfusionist (iii) Respiratory Technologist (iv) Electrocardiogram (ECG) Technologist or	3259 3259 3259

	understanding of respiratory, neurological and circulatory system and also the ability to operate complex equipment related therein and includes professionals such as Perfusionist, Cardiovascular technologist, respiratory technologist and Sleep Lab Technologists. Renal Technology Professional Note: Renal Technology Professional is a person who deals with dialysis therapy process and technology to ensure an effective dialysis therapy to the patient and includes professionals such as Dialysis Therapy Technologists having baccalaureate degree who operate and maintain an artificial kidney machine, following approved methods.	Echocardiogram (ECHO) Technologist (v) Electroencephalogram (EEG) or Electro neurodiagnostic (END) Or Electromyography (EMG) Technologists or Neuro Lab Technologists or Sleep Lab Technologists Dialysis Therapy Technologists or Urology Technologists	3259 3259
10	**Health Information Management and Health Informatic Professional** Note: Health and Information Management Professional is a person who develops, implements and assesses the health record processing, storage and retrieval systems in medical facilities and other health care settings to meet the legal, professional, ethical and administrative records-keeping requirements of health services delivery and processes, maintains, compiles and reports patient information for health requirements and standards in a manner consistent with the healthcare industry's numerical coding system.	(i) Health information Management Professional (Including Medical Records Analyst) (ii) Health information Management Technologist (iii) Clinical Code (iv) Medical Secretary and Medical Transcriptionist	3252 3252 3252 3344

By the order of the Governor of Bihar
Sd/-Illigible,
Additional Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 635-571+10-डी0टी0पी0 ।
Website: http://egazette.bih.nic.in